


27.11.2024:—पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी ने अपना वादपत्र विद्धा कर लिया गया। मूल वाद पत्र अदम विद्धा होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर. टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।


सहस्यक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

